मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011 (फाल्गुन 23, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 62 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा नगर निगम भोपाल में संचालित योजनाओं विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र.4827) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर जिले के पेट्रोल पम्पों पर मिलावटी पेट्रोल मिलने,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ की एक गृह निर्माण समिति के विरूद्ध कार्रवाई न होने,
(3) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य ने लांजी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पशु चिकित्सक का पद रिक्त होने,
(4) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ाई हेतु लावारिस लाशें सौंपी जाने,
(5) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य ने चांदला के ग्राम घूरापुरवा में पानी की व्यवस्था किये जाने तथा
(6) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य ने राजगढ़ के खुजनेर के वार्ड क्र. 15 में ट्यूबवेल से जल प्रदाय न करने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011 को सम्पन्न हुई; जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक का नाम	निर्धारित समय
(1)	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2011)	1 घण्टा
(2)	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011)	1 घण्टा
(3)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011)	1 घण्टा 30 मि.
(4)	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011)	30 मि.
(5)	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011)	1 घण्टा
(6)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011)	2 घण्टे

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई कि वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर विस्तृत चर्चा हेतु दिनांक 14 से 17 मार्च, 2011 तक सभा की बैठकें रात्रि 8.00 बजे तक रखी जाएं तथा दिनांक 15, 16 एवं 17 मार्च, 2011 को भोजनावकाश भी न रखा जाए।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रथम छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण पटल पर रखा।

(2) श्री अजय विश्नोई, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 तथा

(ख) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने रतलाम जिले के जावरा में मंदिर तथा फैक्ट्री की भूमि की अवैध बिक्री होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस की अवैध वसूली किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया।

6. वर्ष 2010-11 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं। तद्नुसार, श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76 तथा 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार, आठ सौ पन्द्रह करोड़, अड़सठ लाख, चौंतीस हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री शंकर लाल तिवारी
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता
(7) श्री रामनिवास रावत

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 5 तक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) को पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(अपराह्न 1.22 से 3.07 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

8. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिनांक 11.3.2011 को प्रस्तुत की गई मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बालाराम बच्चन
(2) श्री देवेन्द्र वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) डॉ. गोविन्द सिंह
(7) श्री परसराम मुद्गल
(8) श्री विजयपाल सिंह
(9) श्री हेमराज कल्पोनी
(10) श्री श्रीकांत दुबे
(11) श्रीमती सुलोचना रावत
(12) श्री रमेश दिलीप भटेरे
(13) श्री जेबियर मेड़ा
(14) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(15) श्री खटीक रमेश प्रसाद
(16) श्री आरिफ अकील
(17) श्री रामलाल मालवीय
(18) श्री यादवेन्द्र सिंह
(19) श्री अजय यादव

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार, प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए तीन सौ इकतीस करोड़, सतासी लाख, बाईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए बीस करोड़, बीस लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक सौ अठासी करोड़, बहत्तर लाख, बीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए छियासी करोड़, ग्यारह लाख, चौदह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अट्ठाइस करोड़, बानवे लाख रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 11	1, 7. 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21
मांग संख्या - 46	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10
मांग संख्या - 50	1, 4, 6, 7, 8, 9, 11
मांग संख्या - 56	2, 3, 4, 8, 10, 13
मांग संख्या - 69	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

(3) श्री मदन कुशवाह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(5) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा

(6) श्री रामलखन सिंह

(7) श्री हेमराज कल्पोनी

(8) श्री श्रीकांत दुबे

(9) श्री दीपक कैलाश जोशी

(10) श्री खटीक रमेश प्रसाद

(11) श्री गौतम टेटवाल

(12) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 8.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011 (फाल्गुन 24, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 14 मार्च, 2011